मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल 2010—चैत्र 26, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. ई-5-395-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएएस, राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को दिनांक 3 से 13 अप्रैल 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. एम. उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एम. उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. ई-5-741-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री जब्बार ढांकवाला, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 19 अप्रैल से 14 मई 2010 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अप्रैल 2010 एवं 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री जब्बार ढांकवाला की अवकाश की अवधि में श्री प्रभाकर बंसोड, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं साप्रवि (मानव अधिकार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जब्बार ढांकवाला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जब्बार ढांकवाला द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभाकर बंसोड जैव विधिवता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जब्बार ढांकवाला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जब्बार ढांकवाला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-296-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति, जेल एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन को दिनांक 9 अप्रैल से 31 मई 2010 तक तिरपन दिन एक्स इंडिया असाधारण अवकाश (अवैतनिक अवकाश) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती आभा अस्थाना की अवकाश की अवधि में श्री प्रभांशु कमल, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति, जेल एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति, जेल एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती आभा अस्थाना द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति, जेल एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति, जेल एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. ई-5-526-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2010 द्वारा श्री मनोज झालानी, आयएएस, आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 23 फरवरी से 26 मार्च 2010 तक बत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 फरवरी से 10 मार्च 2010 एवं दिनांक 12 से 26 मार्च 2010 तक कुल इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के आदेश दिनांक 24 फरवरी 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. ई-1-353-2009-5-संशोधन.—(1) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-353-2009-5-(एक), दिनांक 26 मार्च 2010 की तालिका के अनुक्रमांक-10 के खाना-3 में "आयुक्त नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमान1न का अतिरिक्त प्रभार" के स्थान पर "आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-इक्कीस-ब-(एक).—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 43-2009-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 10/15 मार्च 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 26 मार्च 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द अंक, कोष्ठक तथा अक्षर "तथा इस विभाग की अधिसूचना 17 (ई) 43-2009-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 30 सितम्बर 2009 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में उसी दिनांक को प्रकाशित की गई थी, आंशिक अतिष्ठित करते हुए, जहां तक कि उसका संबंध उस अधिसूचना द्वारा स्थापित ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से है," विलोपित किए जाएं.

F. No. 17(E) 43-2009-XXI-B (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of Section 3 and 4 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, after consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) 43-2009-XXI-B (1) dated 10/15 March 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 dated 26th March, 2010, namley:—

AMENDMENT

In the Notification the words, figures, brackets and letters "and in partial supersession of this department's notification No. 17 (E) 43-2009-XXI-B (1) dated 30th September 2009 which was published in the Madhya Pradesh (Extra-ordinary) on the same date, as for as it relates to the jurisdiction of the Gram Nyayalayas established by that notification" shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 (बी)-27-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2004 द्वारा नियुक्त निम्न अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, छतरपुर के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 8 अगस्त 2008 से तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

1. श्री दिनेश कुमार तिवारी, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), छतरपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008 से तीन वर्ष 7 अगस्त 2011 तक.

2. श्री दयाराम पाठक, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, नौगांव, जिला छतरपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008 से तीन वर्ष 7 अगस्त 2011 तक.

फा. क्र. 1 (बी)-12-04-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सुधीर कुमार पिहानी पुत्र श्री कैलाश बिहारीलाल पिहानी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, लहार नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 (बी)-19-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जुलाई 2004 एवं 29 दिसम्बर 2005 द्वारा नियुक्त निम्न अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शहडोल के कार्यकाल में निम्नांकित तालिका अनुसार अभिवृद्धि करता है.

यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी.

1. श्री उदयभान पाण्डे, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, ब्यौहारी, जिला शहडोल दिनांक 21 जुलाई 2008 से तीन वर्ष 20 जुलाई 2011 तक.

2. श्री शिवकान्त त्रिपाठी, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शहडोल दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से तीन वर्ष 29 दिसम्बर 2012 तक.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 (बी)-24-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2007 द्वारा नियुक्त शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 23 जून 2008 से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

1. श्री भरतसिंह मैनवे, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा. दिनांक 23 जून 2008 से तीन वर्ष 22 जून 2011 तक.
2. श्री के. के. दमाहे, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा दिनांक 23 जून 2008 से तीन वर्ष 22 जून 2011 तक.
3. श्री अनिल पटेल, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा दिनांक 23 जून 2008 से तीन वर्ष 22 जून 2011 तक.
4. श्री सतीश राज श्रीवास, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा दिनांक 23 जून 2008 से तीन वर्ष 22 जून 2011 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-94-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को वन विधि प्रश्नपत्र प्रथम (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	ग्वालियर संभाग	
1	श्री वी. पी. उपाध्याय	सहायक वन संरक्षक
2	श्री दिलीप सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
3	श्री विनोद कुमार शर्मा	वन क्षेत्रपाल
	रीवा संभाग	
4	श्री एस. पी. त्रिपाठी	सहायक वन संरक्षक
5	श्री सी. एम. शर्मा	सहायक वन संरक्षक
6	श्री रामाश्रय पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक
7	श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
8	श्री एम.एल. सोनी	सहायक वन संरक्षक
	भोपाल संभाग	
9	श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी	वन क्षेत्रपाल
10	श्री तरुण कुमार कौरव	वन क्षेत्रपाल
11	श्री मनोज कुमार चौधरी	सहायक वन संरक्षक
12	श्री आर. के. निगम	सहायक वन संरक्षक
13	श्री विनोद कुमार सक्सेना	सहायक वन संरक्षक
14	श्री रवीन्द्र कुमार बैस	सहायक वन संरक्षक
15	श्री आर.जी. पटैरिया	सहायक वन संरक्षक
16	श्री सुधीर सिंह	वन क्षेत्रपाल
17	श्री व्ही. एस. पिल्लई	वन क्षेत्रपाल
18	श्री शरदचन्द्र उपाध्याय	सहायक वन संरक्षक
19	श्री मनीराम गुजरे	सहायक वन संरक्षक
20	श्री डी. पी. उईके	सहायक वन संरक्षक
21	श्री अखिलेश अग्रवाल	सहायक वन संरक्षक
22	श्री एस. आर. वाघमारे	सहायक वन संरक्षक
23	श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक
24	श्री रमाकान्त शर्मा	सहायक वन संरक्षक
	जबलपुर संभाग	
25	श्री धानसिंह कुमरे	सहायक वन संरक्षक
26	श्री श्रीकान्त शर्मा	वन क्षेत्रपाल
27	श्री एम. के. गोले	वन क्षेत्रपाल
28	श्री के. बी. सिंह	वन क्षेत्रपाल
29	श्री नरेश कुमार मिश्र	वन क्षेत्रपाल
30	श्री बी.एस. गोस्वामी	सहायक वन संरक्षक
31	श्री गोविन्द राम चौहान	सहायक वन संरक्षक
32	श्री आनंद प्रताप सिंह बघेल	सहायक वन संरक्षक
33	श्री आर. एन. चौधरी	सहायक वन संरक्षक
34	श्री गंगाराम घांघरे	सहायक वन संरक्षक
35	श्री महेश कुमार परिहार	सहायक वन संरक्षक
36	श्री एस. एस. सेन्द्राम	सहायक वन संरक्षक
37	श्री वाय. पी. चौबे	सहायक वन संरक्षक
38	श्री आई. बी. गुप्ता	सहायक वन संरक्षक
39	श्री बी. के. कांकरिया	सहायक वन संरक्षक
40	श्री जी. एस. श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
41	श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
42	श्री आर. सी. त्रिपाठी	सहायक वन संरक्षक

(1)	(2)	(3)
43	श्री आर. एल. शर्मा	सहायक वन संरक्षक
44	श्री बी. पी. तिवारी	वन क्षेत्रपाल
45	श्री बी. आर. सिरसाम	सहायक वन संरक्षक

सागर संभाग

46	श्री जे.एस. बराच	सहायक वन संरक्षक
47	श्री रामचन्द्र प्रताप सिंह	सहायक वन संरक्षक

इंदौर संभाग

48	श्री जयन्तीलाल पाटीदार	वन क्षेत्रपाल
49	श्री राजाराम पाल	सहायक वन संरक्षक
50	श्री जी. पी. पालीवाल	सहायक वन संरक्षक
51	श्री आर. सी. चौबे	सहायक वन संरक्षक
52	श्री एम. एल. नांदले	सहायक वन संरक्षक
53	श्री आर. के. उपाध्याय	सहायक वन संरक्षक
54	श्री आई. एस. गाडरिया	सहायक वन संरक्षक
55	श्री आर. एस. रावत	सहायक वन संरक्षक
56	श्री मंगल सिंह चौहान	सहायक वन संरक्षक
57	श्री एस. एस. ठाकुर	सहायक वन संरक्षक
58	श्री गुलाबसिंह चौहान	सहायक वन संरक्षक

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-41-2009-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र प्रथम प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

जबलपुर संभाग

1	श्री देवराज मिश्रा	वन क्षेत्रपाल
2	श्री जगदीश प्रसाद वर्मन	वन क्षेत्रपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1 (ए) 192-91-ब-2-दो.—(1) श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (ए.टी.एस.) पु.मु., भोपाल को दिनांक 29 मार्च से 7 अप्रैल 2010 तक (दस) 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 28 मार्च 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में उनके पद का कार्यभार श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता-1) पुमु, भोपाल को सौंपा जाता है.

(3) श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (ए.टी.एस.) पुमु, भोपाल के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे. महानिरीक्षक (ए.टी.एस.) के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (ए.टी.एस.) पुमु, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. माहेश्वरी, पुलिस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1(ए)75-1990-ब-2-दो.—(1) श्री ए.के. श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), पुमु., भोपाल को दिनांक 5 से 16 अप्रैल 2010 तक, कुल बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 4, 17 एवं 18 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री ए.के. श्रीवास्तव, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2010-11 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ "तवांग" (अरुणाचल प्रदेश) जाने की अनुमति दी जाती है :—

1.	श्री ए.के. श्रीवास्तव, भापुसे	—	स्वयं
2.	श्रीमती मंजूल श्रीवास्तव	—	पत्नी
3.	कुमारी आकांक्षा	—	पुत्री

(3) श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे की उक्त अवकाश की अवधि में श्री के.टी. वाईफे, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, अभियान/प्रशिक्षण पुमु. भोपाल को वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) पुमु., भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(4) श्री ए.के. श्रीवास्तव, भापुसे., द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के.टी. वाईफे, भापुसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश से लौटने पर श्री ए.के. श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(6) अवकाश काल में श्री ए.के. श्रीवास्तव, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए.के. श्रीवास्तव, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1(ए)243-1993-ब-2-दो.—(1) श्री वरूण कपूर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन को दिनांक 17 से 26 अप्रैल 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के ज्ञाप क्र. 31011-4-2007-स्था(ए), दिनांक 14 मई 2008 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में प्रावधान अनुसार यदि कोई केन्द्रीय कर्मचारी खंडवर्ष के एक भाग में गृहनगर की यात्रा नहीं करता है तो वह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा (एटीसी) पर जा सकता है. यह सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्हें उक्त खंडवर्ष के भाग में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी.

(3) अत: पैरा-2 के प्रावधान अनुसार श्री वरूण कपूर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 (विस्तार वर्ष दिसम्बर 2010) में गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ "पैयलिंग" (सिक्किम) जाने की अनुमति दी जाती है :—

1.	श्री वरूण कूपर, भापुसे	—	स्वयं
2.	श्रीमती सोम्या	—	पत्नी
3.	ईशान कपूर	—	पुत्र
4.	कंश्य कपूर	—	पुत्र

(3) श्री वरूण कपूर, भापुसे., की उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है.

(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री वरूण कपूर, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा-1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त दस दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.

(5) श्री वरूण कपूर, भापुसे., द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर पुलिस अधीक्षक, उज्जैन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर, भापुसे. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(7) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विश्वमोहन उपाध्याय, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-32-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सतना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(1) कलेक्टर, जिला सतना (म.प्र.)
(2) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सतना.
(3) आयुक्त, नगर निगम, सतना.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-32-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना/अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-32-09-बत्तीस, दिनांक 30 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 30th March 2010

NOTICE

No. F.-3-32-2009-XXXII—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Satna (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

(1) Collector, District, Satna, Madhya Pradesh.

(2) Deputy Director, Town & Country Planning, District Office, Satna, Madhya Pradesh.

(3) Commissioner, Municipal Corporation, Satna.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-79-2006-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(1) कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर.

(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, नरसिंहपुर.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-79-2006-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना/अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-79-06-बत्तीस, दिनांक 30 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 30th March 2010

NOTICE

No. F.-3-79-2006-XXXII—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Narsinghpur (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

(1) Collector, District, Narsinghpur, Madhya Pradesh.

(2) Joint Director, Town & Country Planning, District Office, Jabalpur, Madhya Pradesh.

(3) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Narsinghpur.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 5-36-1997-सात-1.—आम जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग का पुनरीक्षित सिटीजन चार्टर समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 12-8-2009 को जारी किया गया था. अब उसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधित सिटीजन चार्टर जारी किया जाता है :—

राजस्व गतिविधियों से संबंधित सिटीजन चार्टर

क्र.	कार्य/योजना का नाम	प्रभारी अधिकारी	निपटारे की समय-सीमा (दिवस)	कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जानी है उसका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय-सीमा (दिवस)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**नामांतरण :**				
	(क) अविवादित	ग्राम सभा	45 दिवस	तहसीलदार	15 दिवस
	(ख) विवादित	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.	120 दिवस	उपखण्ड अधिकारी	15 दिवस
2	**बंटवारा :**				
	अविवादित—				
	(क) जहां सभी खातेदारों ने संयुक्त आवेदन दिया हो.	ग्राम सभा	45 दिवस	तहसीलदार	15 दिवस
	(ख) जहां सभी खातेदारों ने संयुक्त आवेदन नहीं दिया है और सहखातेदारों को सूचित करना अपेक्षित है.	ग्राम सभा	120 दिवस	तहसीलदार	15 दिवस
	विवादित— जिसमें स्वत्व का प्रश्न निहित हो (यदि न्यायालय ने स्थगन दिया है तो स्थगन अवधि को कम करते हुए).	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.	210 दिवस	उपखण्ड अधिकारी	15 दिवस
3	भूमि का सीमांकन	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.	30 दिवस (फसल खड़ी रहने या वर्षाकाल की अवधि को छोड़कर).	उपखण्ड अधिकारी	15 दिवस
4	**प्रमाणित प्रतिलिपि का प्रदाय :**				
	(क) सामान्य (साधारण)	कार्यालय का प्रभारी अधिकारी	3 दिवस	वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है.	3 दिवस
	(ख) तत्काल कम्प्यूटर से खसरा प्रति	कार्यालय का प्रभारी अधिकारी	उसी दिन (कम्प्यूटर चालू होने पर).	वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है.	3 दिवस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**राजस्व-अभिलेखों का अवलोकन :**				
	(क) सामान्य (साधारण)	कार्यालय का प्रभारी अधिकारी	3 दिवस	वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है.	3 दिवस
	(ख) तत्काल	कार्यालय का प्रभारी अधिकारी	एक दिवस	वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है.	3 दिवस
6	**प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत अनुदान :**				
	(क) रुपये 10,000/ तक की वित्तीय सीमा के मामले में	तहसीलदार	10 दिवस	उपखण्ड अधिकारी	7 दिवस
	(ख) रुपये 20,000/- तक की वित्तीय सीमा के मामले में	उपखण्ड अधिकारी	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
	(ग) रुपये 1,00,000/- तक की वित्तीय सीमा के मामले में	कलेक्टर	15 दिवस	संभागायुक्त	7 दिवस
	(घ) रुपये 1,00,000/- से अधिक की वित्तीय सीमा के मामले में	संभागायुक्त	15 दिवस	राहत आयुक्त	7 दिवस
7	**शोध क्षमता प्रमाण-पत्र :**				
	(क) प्रतिवेदन तैयार कर भेजना	तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ उपखण्ड अधिकारी	7 दिवस	उपखण्ड अधिकारी	7 दिवस
	(ख) प्रमाण-पत्र का प्रदाय	/कलेक्टर	15 दिवस	संभागायुक्त	15 दिवस
8	**नजूल भूमि संबंधित :**				
	(क) नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र	नजूल अधिकारी	30 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस
	(ख) नजूल पट्टे का नवीनीकरण (शर्त उल्लंघन के प्रकरणों को छोड़कर)	कलेक्टर	60 दिवस	संभागायुक्त	15 दिवस
9.	**भू-अर्जन संबंधित प्रकरण :**				
	अवार्ड पारित होने एवं भूमि का कब्जा लेने पर भू-अर्जन की मुआवजा राशि का भुगतान	भू-अर्जन अधिकारी	30 दिवस	संभागायुक्त	15 दिवस.

एस. पी. बिले, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 44-28-2010-बीस-2.—मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा

शैक्षणिक सत्र 2010-11 के लिए निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें विहित करती है :— अर्थात्

क्रमांक (1)	कक्षा (2)	पुस्तक का नाम (3)	लेखन (4)	माध्यम (5)	प्रकाशक (6)
1	4	गुलशन-ए-उर्दू (सामान्य)	मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.	उर्दू	मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल (समस्त पाठ्यपुस्तकों के लिए).
2	6	गुलशन-ए-उर्दू (सामान्य)		उर्दू	
3	7	गुलशन-ए-उर्दू (सामान्य)		उर्दू	

Bhopal, the 31st March 2010

No. F.-44-28-2010-XX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Prathmik, Middle School Tatha Madhyamik Shiksha (Pathya Pustakon Sambandhi Vyavastha) Adhiniyam. 1973 (No. 13 of 1973), the State Government hereby prescribes the following text books for the academic session 2010-11 namely :—

S.No. (1)	Class (2)	Name of Book (3)	Writer (4)	Medium (5)	Publisher (6)
1	4	Gulshan-E-Urdu (General)	Madhya Pradesh Rajya Shiksha Kendra, Bhopal.	Urdu	Madhya Pradesh Text Book Corporation in all the books.
2	6	Gulshan-E-Urdu (General)		Urdu	
3	7	Gulshan-E-Urdu (General)		Urdu	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ.-1-1-10-रा.स.-यू.ए.1-572.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपतिजी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

1. डॉ. रणबीर चंद्र सोबती, कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चंड़ीगढ़	कुलाधिपति द्वारा नामांकित
2. डॉ. पी. बी. शर्मा, कुलपति, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली.	कार्यपरिषद् द्वारा अधिकृत किए जाने के उपरांत महामहिम कुलाधिपति द्वारा निर्वाचित.
3 श्री नजीब जंग, कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली.	चेयरमेन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत.

2. महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा डॉ. रणबीर चंद्र सोबती को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,
जे. एन. मालपानी, राज्यपाल के सचिव.

वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल, शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र.-मा.चि.-2010-111.—मध्यप्रदेश फारेस्ट मैनुअल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुये उपवनमण्डल जयसिंहनगर के वन परिक्षेत्र जयसिंहनगर के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार बीटों का पुर्नगठन किया जाता है, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा :—

वर्तमान बीट का नाम एवं मुख्यालय						पुर्नगठित बीट का नाम एवं मुख्यालय						
उप वन मण्डल का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	सर्किल का नाम	बीट का नाम एवं मुख्यालय	कक्ष क्र.	रकबा है.	उप वन मण्डल का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	सर्किल का नाम	बीट का नाम एवं मुख्यालय	कक्ष क्र.	रकबा है.	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	बिजहा	बिजहा (बिजहा)	P 333	310.95	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	बिजहा	बिजहा (बिजहा)	P 333	310.95	
				P 334	181.60					P 334	181.60	
				P 335	391.00							
				P 336	474.20							
										योग . .	492.55	
						जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	बजहा	बिजहा (हुडरहा)	P 335	391.00	
										P 336	474.20	
										योग . .	865.20	
				योग . .	1357.75					कुल योग . .	1357.75	
जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	मसीरा	मसीरा (मसीरा)	P 385	226.00	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	मसीरा	मसीरा (मसीरा) I	P 385	226.00	
				P 386	242.50							
				P 387	234.80							
										योग . .	226.00	
						जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	मसीरा	मसीरा (मसीरा) II	P 386	242.50	
										P 387	234.80	
										योग. .	477.30	
				योग . .	730.30					कुल योग . .	730.30	

ए. एस. तिवारी, वनमण्डलाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 23 मार्च 2010

प्र. क्र. 4-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	पीपलखेड़ा	525/1	0.295	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	पीपलखेड़ा नहर की एल. एम. 6 के निर्माण हेतु.
			155/1	0.149		
			156/2	0.057		
			156/3	0.080		
			157/1ख	0.051		
			157/2/1	0.050		
			योग . .	0.682		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	सुल्तनिया	155/1	0.128	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर परियोजना की पिपलखेड़ा की लघु नहर क्र. एल. एम.-7 के निर्माण हेतु.
			155/2	0.086		
			161/1	0.103		
			161/3	0.050		
			176/3	0.012		
			178/2	0.145		
			169	0.090		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			179	0.064		
			180/1	0.101		
			180/2	0.101		
			181	0.052		
			185/1	0.040		
			185/2	0.040		
			185/3	0.041		
			185/4	0.040		
			192	0.032		
			193/1	0.008		
			193/2	0.008		
			193/3	0.007		
			193/4	0.007		
			136/1	0.021		
			136/2/1	0.007		
			136/2/2	0.007		
			136/2/3	0.007		
			136/3	0.021		
			136/4	0.026		
			136/5	0.021		
			136/6	0.021		
			136/7	0.021		
			136/8	0.021		
			136/9	0.021		
			16/1	0.032		
			16/2	0.032		
			160	0.052		
			183	0.012		
			138/1	0.040		
			योग . .	1.517		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	सतपाड़ा	78	0.008	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	पिपलखेड़ा वितरिका नहर की एल. एम.-5 की नहर SM-1 एवं SM-2 के निर्माण हेतु.
			75/1	0.103		
			66/1	0.037		
			66/2	0.161		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			74/2	0.052		
			68	0.006		
			योग . .	0.367		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	सहजाखेड़ी	508	0.006	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा	पिपलखेड़ा वितरिका नहर की एल. एम.-5 की नहर SM-1 एवं SM-2 के निर्माण हेतु.
			509/2	0.035		
			509/4/1	0.103		
			514	0.058		
			513	0.109		
			511/1	0.172		
			502/1	0.075		
			498	0.035		
			456	0.017		
			455	0.139		
			457/2	0.230		
			459	0.007		
			507/1	0.014		
			506/1 506/3 506/4	0.318		
			505	0.167		
			497/2/2	0.142		
			497/2/1	0.122		
			497/3	0.109		
			487	0.007		
			488	0.161		
			485/1	0.132		
			483/1	0.121		
			483/2	0.029		
			योग . .	2.308		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	ब्यौची	83/1min	0.007	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	पिपलखेड़ा वितरिका नहर की एल.एम.-5 की नहर SM-1 एवं SM-2 के निर्माण हेतु.
			84/1	0.167		
			84/2	0.070		
			85/2	0.091		
			85/3	0.075		
			86	0.007		
			91	0.080		
			90	0.009		
			योग . .	0.506		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	गंगरबाड़ा	13/1	0.117	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर परियोजना की पिपलखेड़ा नहर की उपनहर क्र. 4 के निर्माण हेतु.
			13/2	0.117		
			14	0.105		
			15	0.198		
			27	0.080		
			28	0.813		
			29	0.020		
			योग . .	1.450		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 1300-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	बड़ावदी	0.205	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा धिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1288-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	नयापुरा	1.102	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा धिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1286-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	बड़ोदिया	1.038	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा धिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1290-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	राजाखेड़ी	0.458	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा धिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1292-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	उकेड़िया	0.577	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1294-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	भूतेड़ा	2.41	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1296-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-09-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	सेजावता	11.895	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1298-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	बामनखेड़ी	4.294	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1284-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 11-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	कस्बा जावरा	14.939	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा धिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 2468-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-पखड़िया ब.नं.-153 प.ह.नं.-34 रा.नि.मं.-चॉद.	0.521 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	दिलावर मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2469-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-दिलावर मोहगांव ब.नं.-129 प.ह.नं.-34 रा.नि.मं.-चॉद.	0.180 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	दिलावर मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2470-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-सालई छिन्दी ब.नं.-274 प.ह.नं.-34 रा.नि.मं.-चॉद.	0.124 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	दिलावर मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. 2496-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता हैं अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-तिवड़ा कामथ ब.नं.-247 प.ह.नं.-14 रा.नि.मं.-सांवरी.	1.406 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां)	कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	तिवड़ा कामथ फीडर जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना अनुविभाग क्र. 1, पांढुर्णा, मुख्यालय, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. क-2792-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बीना	किर्रोद	7	2.01	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सागर संभाग क्र. 1	बीना-कुरवाई मार्ग से बीना-आगासौद-कंजिया मार्ग किर्रोद से किर्रावदा मार्ग.
		कालूखेड़ी	15	2.34		
		मुडियादेहरा	19	5.34		
		भिलावली	24	2.55		
		किर्रावदा	8	1.20		
			योग . .	13.44		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. 309-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 14-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बडवाह	हिरापुर	0.587	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर.	हिरापुर तालाब योजना के डूब से प्रभावित होने के कारण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. 314-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 15-अ-82-08-09-कलेक्टर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	चक्मातपुर	0.579	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर परियोजना की द्वितीय चरण की दॉयी तट मुख्य नहर की लघु नहर डी. एम.-32 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2010

भू-अर्जन-प्र.क्र. 25-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करतां है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	पंधाना ठेका	0.65	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 26-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बेढ़ानी	3.72	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 27-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	चांदेल	4.16	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 28-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि

उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	पालसूद रैयत	2.01	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2009-2010-795-801.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भिण्ड	रौन	रौन	381	0.020	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.	भिण्ड-मिहोना-गोपालपुर मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु निजी भूमि का स्थायी रूप से अर्जन.
			862	0.143		
			379	0.210		
			380	0.056		
			386	0.104		
			387	0.172		
			388	0.024		
			389	0.104		
			395	0.057		
			396	0.427		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			399	0.057		
			401	0.246		
			402/1	0.067		
			403	0.202		
			402/2	0.067		
			404	0.436		
			407	0.097		
			430	0.121		
			431	0.092		
			437	0.020		
			432	0.065		
			433	0.010		
			824	0.032		
			830	0.161		
			831	0.206		
			840	0.405		
			846			
			847/1	0.240		
			847/2			
			847/3			
			848	0.218		
			850	0.052		
			849	0.052		
			851	0.152		
			852	0.049		
			859	0.134		
			860	0.047		
			861	0.051		
			863	0.010		
			2299, 2300	0.192		
			2379	0.032		
			2394	0.036		
			2392	0.021		
			2393	0.094		
			2391	0.057		
			2395	0.065		
			2409	0.152		
			2410	0.112		
			2411	0.312		
			2412	0.065		
			2406/2	0.052		
			2575	0.251		
			2419	0.097		
			2420/1	0.222		
			2421	0.028		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2562	0.021		
			2559	0.129		
			2550	0.097		
			2560	0.168		
			2561	0.023		
			2576	0.073		
			2577			
			2578	0.202		
			2580/1	0.184		
			2598	0.153		
			2602	0.153		
			2650	0.049		
			2651/1	0.230		
			2651/2			
			2662	0.161		
			2665	0.097		
			2664	0.049		
			2666	0.081		
			2667	0.269		
			2668	0.073		
			2672	0.061		
			2673	0.016		
			2674	0.021		
			2675	0.010		
			2669	0.010		
			2671	0.084		
			2676	0.042		
			2677	0.010		
			2678	0.010		
			2764	0.097		
			2765/1	0.016		
			2766	0.073		
			2767	0.031		
			2770	0.057		
			2768	0.169		
			2782	0.065		
			2783	0.097		
			2789	0.065		
			2805	0.367		
			2784/1	0.108		
			2784/2	0.108		
			2781	0.050		
			2785	0.181		
			2793	0.255		
			2807	0.351		
			2809	0.041		
			2813	0.318		
			2814/1	0.024		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2815/1	0.121		
			3027	0.271		
			2820	0.097		
			2818/1 2818/2	0.241		
			3015/3	0.136		
			3032	0.061		
			3033	0.028		
			3034	0.256		
			3035 मि.-1	0.175		
			3035 मि.-2	0.175		
			3040	0.405		
			3041	0.256		
			3042	0.322		
			3038	0.010		
			2811/1	0.164		
			2812/1	0.063		
			योग . .	14.124		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लहार, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-प्र.क्र. 02-अ-82-2009-2010-782-87.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भिण्ड	रौन	हमीरपुरा	420	0.010	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.	भिण्ड-मिहोना-गोपालपुर मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु निजी भूमि का स्थायी रूप से अर्जन.
			419	0.049		
			418	0.157		
			422	0.189		
			428	0.024		
			योग . .	0.429		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लहार, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-प्र.क्र. 03-अ-82-2009-2010-788-94.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भिण्ड	मिहोना	खितौली	713	0.020	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.	भिण्ड-मिहोना-गोपालपुर मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु निजी भूमि का स्थायी रूप से अर्जन.
			714	0.094		
			715/1	0.031		
			715/2	0.031		
			718	0.052		
			725	0.028		
			719	0.045		
			722	0.048		
			723	0.132		
			724	0.202		
			736	0.052		
			788	0.172		
			737	0.092		
			750	0.180		
			779	0.072		
			751	0.167		
			752	0.089		
			776	0.032		
			770	0.206		
			772	0.413		
			774/1	0.142		
			774/2	0.142		
			826/1 826/2	0.020		
			830/1 830/2	0.052		
			767	0.115		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			768	0.020		
			833	0.028		
			832	0.105		
			765	0.112		
			835	0.506		
			726/1	0.060		
			717	0.061		
			778/1	0.072		
			773	0.010		
			686/1	0.022		
			687	0.042		
			योग . .	3.667		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लहार, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-प्र.क्र. 04-अ-82-2009-2010-776-81.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भिण्ड	मिहोना	मिहोना	2312	0.105	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.	भिण्ड-मिहोना-गोपालपुर मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु निजी भूमि का स्थायी रूप से अर्जन.
			2313/3	0.078		
			2313/1	0.078		
			2313/2	0.078		
			2303	0.240		
			2308	0.236		
			2329/1	0.089		
			2329/2			
			2331/1	0.240		
			2331/2			
			2302	0.024		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2264	0.020		
			2333	0.218		
			2334	0.032		
			2332	0.081		
			2338	0.244		
			2336	0.048		
			2337	0.115		
			2341/1	0.032		
			2342/1	0.238		
			2342/2			
			2344/1/1	0.084		
			2344/1/2	0.021		
			योग . .	2.301		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लहार, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 3 अप्रैल 2010

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-11-03-पत्र क्र. 580-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पठरा	0.809	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म.प्र.).	पठरा बांध योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्र.क्र. 03-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) तथा 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	निनोरा	3.01	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील उज्जैन.	इन्दौर-उज्जैन मार्ग का फोरलेनिंग मार्ग निर्माण अन्तर्गत ग्राम निनोरा के समीप टोल प्लाजा निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजातशत्रु, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. 2518-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	गोरधनपुरा	8.878	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	बेरदाखुर्द तालाब के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. 01-अ-82-09-10-भू-अ. अ.-89.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	बरगी प. ह. नं. 46, न. बं. 68	2.89	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.	गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

क्र. 02-अ-82-09-10-भू-अ. अ.-89.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	सालीबाड़ा प. ह. नं. 46, न. बं. 440.	1.31	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.	गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

क्र. 03-अ-82-09-10-भू-अ. अ.-89.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	खम्हरिया प. ह. नं. 39, न. बं. 117	5.67	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.	गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

क्र. 04-अ-82-09-10-भू-अ. अ.-89.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	खिरहनी प. ह. नं. 37, न. बं. 121	0.34	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.	गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

क्र. 05-अ-82-09-10-भू-अ. अ.-89.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	गजना प. ह. नं. 46	2.58	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.	गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में

क्र. 06-अ-82-09-10-भू-अ. अ.-89.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	बरगी प. ह. नं. 46 न. बं. 68	1.11	उप मुख्य अभियन्ता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.	गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किये जाने हेतु.

क्र. 07-अ-82-09-10-भू-अ. अ.-89.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	थाना प. ह. नं. 42 न. बं. 216	1.16	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.	गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

क्र. 08-अ-82-09-10-भू-अ. अ.-89.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	सुकरी प. ह. नं. 42 न. बं. 450	1.17	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.	गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किये जाने हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 अप्रैल 2010

क्र. 4072-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	दिलावरा	0.210	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 1, धार.	दिलावरा उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत डूब प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. 4077-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	तलवाड़ा	0.176	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 1, धार.	सितलामाता तालाब निर्माण अंतर्गत डूब प्रभावित होने से

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 अप्रैल 2010

क्र. 222-भूअर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	बांधवगढ़	चिमटा	1.450	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा, मध्यप्रदेश.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 224-भूअर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	अमिलियन (टटेहरा टोला)	1.842	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा, मध्यप्रदेश.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परिग्रोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 226–भूअर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	हटवा कोढार	केवल सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा, मध्यप्रदेश.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ-3-44-2010-बत्तीस.—मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-44-2010-बत्तीस, दिनांक 17 फरवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू उपयोग
)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम मांगलिया, इन्दौर	5/6 4/4 4/5	1.34	व्यावसायिक (यातायात नगर)	औद्योगिक
			योग . . 1.34		

(2) उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन-2(अ-82)2008-09-898.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—भैंसवाही
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.306 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
6	0.039
8	0.057
9	0.062
10	0.425
107	0.010
109	0.046
111	0.136
112	0.199
114	0.394
116	0.013
170	0.085
171	0.110
183	0.175
184	0.021
186	0.058
248/1 | 248/2	0.090
124	0.090
192	0.270
195	0.197
217	0.009
220	0.080
226	0.121
227	0.024
228	0.081
229	0.072
230	0.058
114	0.109
117	0.060
118	0.055
119	0.032
163	0.128
योग . .	3.306

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बंजरटोला जलाशय ग्राम भैसवाही नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन-36(अ-82)2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—गुझियारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.16 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
97	0.24
96	0.03
98/4	0.38
98/1	0.15
98/2	0.07

(1)	(2)
107	0.70
132	0.96
133	0.03
137	0.03
135/3	0.32
188	0.01
136	0.05
140	0.28
	3.25
106, 191, 105, 139, 190, 189, 192	0.91
योग . .	4.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82)2008-09-913.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—राखी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.73 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
98/1	0.10
99	0.26
110/1	0.04
106	0.04
109	0.43
107	0.09
167	0.14
168	0.05
169	0.25
170	0.33
योग . .	1.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82)2008-09-909.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—सुड़गांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.44 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
298/3	0.05
298/4	0.05
298/1	0.05
298/2	0.05
299	0.08
300/3	0.06
300/2	0.04
300/1	0.03
301	0.06
302	0.16
309/2	0.06
309/1	0.05
310	0.10
312	0.12
315	0.33
320/8	0.26
320/5	0.29
320/2	0.61
320/7	0.03
321	0.08
322/5	0.12
325/2	0.02

(1)	(2)
325/1	0.01
322/4	0.28
262	0.15
261	0.07
260/2	0.30
238	0.19
317	0.08
	3.78
326, 307, 303, 277/1	1.66
	1.66
योग सुड़गांव रै.	. . 5.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82)2008-09-910.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—कठौतिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.95 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
189/1	0.26
189/2	0.13
189/3	0.09
189/4	0.14
189/5	0.07
191	0.14
225	0.37
224/2	0.10
224/1	0.23
222	0.38
212	0.65
213	0.08
214/2	0.01
274	0.53
284	0.54
292	0.49
293	0.45
296	0.10
799	0.15
835	0.12
818	0.52
821	0.13
829	0.24
830	0.26
838	0.03
834	0.12
836	0.09
851	0.01
852	0.06
853	0.07
875	0.11
976	0.10
977/1	0.05
977/2	0.05
977/3	0.05
977/4	0.05
977/5	0.05
984/1	0.05
984/2	0.44
962	0.21
964	0.23
योग	. . 7.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82)2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—बगली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.77 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
331	0.32
326/2	0.03
326/3	0.04
333	0.33
296	0.25
295	0.22
292/1	0.16
292/2	0.11
292/3	0.15
287	0.21
181/1	0.08
181/2	0.02
181/3	0.02
181/4	0.10
181/5	0.10
181/6	0.02
195/1	0.17
185/2	0.10
196/1	0.24
253/2	0.35
200	0.33
215/1	0.21
215/2	0.21
योग . .	3.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2(अ-82)2008-09-912.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—भलवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.45 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3	0.15
5	0.44
18	0.30
19	0.18
26/1	0.40
28	0.49
35	0.10
26/2	2.00
30	0.15
31	0.08
32/1	0.08
32/2	0.08
योग . .	4.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भलवारा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-35(अ-82)2008-09-914.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—सुखलोड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.95 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
472	0.40
475/1	0.05
476	0.04
477	0.30
478	0.23
479	0.12
370	0.36
439	0.13
442	0.20
482	0.18
592	0.05
438	0.26
486	0.08
441	0.01
443	0.13
444	0.05
366	0.11
440	0.01
445	0.02
437	0.09
435	0.10
393	0.06
579/1	0.37
392	0.12
367	0.23
368	0.04
365	0.09
635	0.01
300	0.15
264	0.47
265	0.03
266	0.03
267	0.15
279	0.16
590	0.37
588	0.24
280	0.01
277	0.19
518	0.07
276	0.10
275	0.04
253/1	0.26
253/2	0.07
514	0.27
517	0.31
574/1	0.43
571/1	1.10
299, 474, 512, 634/1	
288, 278, 297, 301, 269	8.29
364, 296, 363, 487, 513,	4.66
573, 591, 305, 356, 403	
योग . .	12.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-37(अ-82)2008-09-917.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—खजरवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.65 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
480	0.60
481	0.05
482	0.60
483	0.05
493/1	0.10
493/3	0.02
493/2	0.03
493/4	0.10
492	0.09
491	0.10
490	0.05

(1)	(2)
373	0.17
371/1	0.20
371/2	0.11
365	0.20
363	0.18
136/1	0.31
338/1	0.02
338/2	0.06
334/2	0.05
335/1	0.04
335/2	0.04
336/3-4	0.06
205	0.25
336/9	0.04
336/7	0.02
217	0.25
214	0.40
136/2	0.06
131	0.16
129	0.21
128	0.55
241	0.02
125/1	0.05
125/3	0.19
127/3	0.10
126	0.35
104/2	0.04
105	0.17
89	0.17
90/1	0.07
90/2	0.08
90/3	0.16
125/2	0.10
	6.62
481, 496,	1.43
134	0.60
योग . .	8.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-42(अ-82)2008-09-915.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—खम्हरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.75 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
31/1	0.06
30/3	0.15
61/1	0.22
58/2	0.08
58/1	0.10
36/2	0.07
35/2	0.09
35/1	0.17
36/1	0.12
62	0.11
59	0.25
69	0.08
4/2	0.07
29	0.30
34/1	0.20
30/1	0.10
30/2	0.14
4/1	0.18
60	0.31
63	0.50
	3.30
3,65, 79, 64	0.45
योग . .	3.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-38(अ-82)2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—पारापानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.26 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
47	0.70
90	0.18
62	0.11
104	0.09
63	0.03
61	0.07
236	0.03
60	0.02
64	0.02
235	0.03
59	0.04
27	0.26
76	0.15
80	0.07
75	0.10
74	0.11
81	0.01
82	0.03
106	0.23
226	0.20
87	0.20
88	0.06
92	0.11
89	0.25
26	0.25
242	0.17
237	0.56
230	0.06
229	0.01
228	0.03
	4.18
225	0.08
योग . .	4.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 22 मार्च 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि केवलारी जलाशय की दाई नहर एवं टेल माईनर हेतु जल संसाधन विभाग के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील/ताल्लुका—उदयपुरा
(ग) नगर/ग्राम—केवलारी, छींद, झमझिरी, बिलगवा, किरगीकलां, सतेहरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.94 हेक्टर.

खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)
	केवलारी	
138	11.98	0.37
139/2	3.31	0.02
141/2	3.85	0.36
133/1/1	2.03	0.12

(1)	(2)	(3)
130	3.08	0.47
127	2.18	0.27
	छींद	
100/1/1	2.00	0.57
100/1/2	3.00	0.26
105	3.18	0.16
107/1	2.78	0.11
107/2	2.77	0.20
234	11.49	0.46
233	3.88	0.08
204/1/2	4.70	0.30
203	2.31	0.03
196/1/1	2.39	0.07
196/1/2	1.00	0.08
196/2/2	2.00	0.16
174/2	1.35	0.24
138	7.94	0.06
264/2/1	2.00	0.08
264/1	1.00	0.10
195/1	0.50	0.06
195/2	0.49	0.06
176	0.57	0.16
137	8.90	1.00
133	12.56	0.28
264/2/2	8.65	0.96
265	9.99	0.34
	झमझिरी	
159/1	9.10	0.22
159/2	9.09	0.22
161/1	3.00	0.30
162/1/2	0.92	0.30
163/1	10.26	0.20
193/2	10.00	0.30
193/1/1	3.00	0.28
194/1	5.00	0.33
194/3	2.60	0.10
198	10.00	0.14
199	4.33	0.32
201/2/2	1.00	0.09
201/2/1/2	1.00	0.23
201/3	5.00	0.17
201/4	5.00	0.12
207	20.43	0.50
210	3.18	0.11
211	3.18	0.11
212/1/1	2.00	0.12
212/2	3.18	0.11
216/1	3.72	0.51
216/2/1	2.00	0.22
216/2/2	1.00	0.11
	बिलगवा	
132/1/1/1/1/1/1/1/1/1	2.00	0.15
132/1/1/1/1/1/3	2.41	0.13
132/1/1/2	1.00	0.05
132/1/1/1/2	0.50	0.03
132/2	0.50	0.07
132/1/1/1/1/1/2	1.00	0.07
	किरगीकलां	
103/1/1/1	2.50	0.13
103/1/1/2	2.50	0.14
103/1/2	5.30	0.26
103/2	5.00	0.20
104/1/1	2.50	0.19
105	5.55	0.02
106/1	5.00	0.22
107/1	10.37	0.13
110/1/3/1	2.00	0.14
110/1/2/1/1	5.70	0.15
110/3/2	1.61	0.15
114/1	11.00	0.59
114/3	2.00	0.03
116	14.00	0.02
117/2	5.32	0.06
119	7.94	0.43
150	90.41	1.24
225	18.04	0.19
230/2	5.36	0.35
230/3	5.36	0.20
230/4	5.36	0.21
232	30.19	0.48
	सतेहरी	
117/1	15.40	0.37
कुल योग		18.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—केवलारी जलाशय की दाई नहर एवं टेल माईनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बरेली (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. क्यू-भूमि संपादन-2010-2284.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घटिया
(ग) ग्राम—पानबिहार, रनाहेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.09

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (2)
पानबिहार	
294/1	1.57
294/2	0.78
260	0.38
261	0.55
262	0.98
378/1,	0.10
381,	0.10
387/2	0.14
418	0.05
382	0.44
387/1	0.25
419	0.32
386	0.50
387/3	0.67
388	0.30
391/1/1	0.13
391/1/2	0.12
378/2	0.02
379	0.04
378/3	0.12
377	0.04
462	0.15
420	0.03
460	0.30
425	0.32
463	0.10
461	0.06
465/1	0.10
466	0.30
467/1	0.08
426	0.25
467/2	0.16
468	0.20
470/2	0.03
427	0.40
योग . .	10.08
रनाहेड़ा	
424/6	1.60
424/7	0.60
424/4	0.15
424/5	1.15
424/1/2	1.00
344	0.04
76	0.52
387	0.85
योग . .	6.01

ग्राम रनाहेड़ा के प्रभावित मकान का विवरण

खसरा नम्बर (1)	क्षेत्रफल वर्गमीटर (2)	मकान का प्रकार (3)
	रनाहेड़ा	
335	48.00 एवं 45.51	पक्का ईंट का छत चद्दर कच्चा मिट्टी का छत अंग्रेजी कवेलू.

(1)	(2)	(3)
340	22.14	पक्का सीमेंट ईंट का छत चद्दर
324	56.25	पक्का सीमेंट, रेत ईंट छत नहीं.
292/2	42.33 एवं 9.13	पक्का ईंट का प्लास्टर सहित छत गरर्डर फर्शी.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—तहसील घटिया शंकरपुर तालाब के कार्य/नहर हेतु अधिग्रहित अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घट्टिया कोठी पैलेस उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजातशत्रु, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 1282-भू-अर्जन-2010- प्रकरण क्रमांक 12-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—जावरा
(ग) ग्राम—कांकरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.000 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7/2	2.000
	योग . . 2.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए— पिंपलिया सिंहोर (माधव) जलाशय योजना के बांध क्षेत्र में डूब में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 30 मार्च 2010

प्र. क्र. 3अ-82-09-10-2745.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, उसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—किर्रोद, कालूखेड़ी, मुडियादेहरा, भिलावली, किर्रावदा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.44 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
किर्रोद	
216	0.81
219	0.14
218	0.09
220	0.06
177/2	0.35
192	0.18

(1)	(2)
174	0.38
कुल योग	2.01

कालूखेड़ी

25/2	0.40
27	0.04
25/1	0.33
26/1	0.08
46	0.22
45	0.06
35	0.04
55	0.02
47	0.08
48	0.20
44	0.03
41	0.30
42	0.20
43	0.06
51	0.28
कुल योग	2.04

मुडियादेहरा

107/1	0.21
107/2	0.26
98	0.20
81/2	0.20
38/1	0.38
38/2	0.33
38/3	0.06
18/3	0.02
36	0.05
20/1	0.12
20/4, 20/5	0.36
20/2, 20/3	0.42
कुल योग	5.34

भिलावली

43/1	0.06
26/3	0.10
49	0.07
50,30	0.09
51	0.21
6	0.24
7	0.48
59	0.16
8	0.35
14	0.30
29	0.11
32	0.07
33	0.06
35	0.02
25/3	0.03
31/2	0.04
34/1	0.01
34/2	0.01
39/5	0.06
58/1	0.02
58/2	0.02
58/3	0.02
58/4	0.02
कुल योग	2.55

किर्रावदा

241	0.12
242	0.02
271	0.10
270	0.17
254	0.05
258	0.18
259	0.20
261	0.36
कुल योग	1.20
कुल महायोग. .	13.44

(2). सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बीना कुरवाई मार्ग से बीना आगासौद, कंजिया मार्ग, किर्रोद से किर्रावदा मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. 313-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 69-अ-82-08-09-**संशोधन.**—ग्राम धरगांव प.ह.नं. 16, तह. महेश्वर, जिला खरगोन की भू-अर्जन अधिनियम, की धारा-6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का राजपत्र दिनांक 26 जून 2009 पृष्ठ क्रमांक 1602 में त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के स्थान पर संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ी जावे :—

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर)	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(1)	(2)
42/4	0.113	43/4	0.113

शेष उद्घोषणा यथावत रहेगी.

खरगोन, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. 319-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 18-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों/अन्य परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 162-5-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 12 मार्च 2010 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—झिरन्या
(ग) ग्राम का नाम—उदयपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—515 वर्गमीटर.

खसरा नंबर	डूब का रकबा (वर्ग मीटर में)	मकान संख्या	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
104	86.00	1	शासकीय एवं
104	39.00	1	निजी भूमि पर
104	30.00	1	स्थित मकान एवं
104	43.00	1	अन्य परिसंपत्तियां
58/1	50.00	2	भूमि को छोड़कर
58/1	9.00		
58/1	53.00	1	
58/1	26.00	1	
58/4	73.00	2	
58/4	16.00		
20/5	90.00	1	
योग .	515.00	11	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर से डूब प्रभावित होने से.

(3) **नोटः**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-2 धरमपुरी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 318-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 19-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों/अन्य परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 162-5-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 12 मार्च 2010 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—झिरन्या
(ग) ग्राम का नाम—पालदाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—165 वर्गमीटर.

खसरा नंबर (1)	डूब का रकबा (वर्ग मीटर में) (2)	मकान संख्या (3)	विवरण (4)
58/2/1	107.00	1	निजी भूमि पर स्थित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियां भूमि को छोड़कर
58/1/1	58.00	1	
योग .	165.00	02	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर से डूब प्रभावित होने से.

(3) **नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-2 धरमपुरी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 315-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 20-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों/अन्य परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 162-5-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 12 मार्च 2010 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—झिरन्या

(ग) ग्राम का नाम—बेढान्याबुजुर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल—791 वर्गमीटर.

खसरा नंबर (1)	डूब का रकबा (वर्ग मीटर में) (2)	मकान संख्या (3)	विवरण (4)
76	47.00	1	शासकीय भूमि पर स्थित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियां भूमि को छोड़कर.
76	23.00	1	
76	34.00	1	
76	100.00	2	
76	18.00		
76	84.00	1	
76	70.00	1	
76	44.00	3	
76	41.00		
76	35.00		
76	33.00	1	
76	30.00	3	
76	40.00		
76	48.00		
76	89.00	2	
76	13.00		
76	42.00	1	
योग .	791.00	17	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर से डूब प्रभावित होने से.

(3) **नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-2, धरमपुरी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 317-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 21-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता

है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों/अन्य परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 162-5-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 12 मार्च 2010 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—झिरन्या
(ग) ग्राम का नाम —गवलखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—234 वर्गमीटर.

खसरा नंबर (1)	डूब का रकबा (वर्ग मीटर में) (2)	मकान संख्या (3)	विवरण (4)
11/1	146.00	1	शासकीय भूमि पर स्थित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियां भूमि को छोड़कर
11/1	88.00	1	
योग	234.00	02	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर से डूब प्रभावित होने से.

(3) **नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-2, धरमपुरी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 316-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 22-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों/अन्य परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 162-5-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 12 मार्च 2010 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—झिरन्या
(ग) ग्राम का नाम —सोनूद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—285 वर्गमीटर.

खसरा नंबर (1)	डूब का रकबा (वर्ग मीटर में) (2)	मकान संख्या (3)	विवरण (4)
23/1/5	16.00	1	शासकीय एवं निजी भूमि पर स्थित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियां भूमि को छोड़कर.
37/5	42.00	1	
38/2/2	17.00	1	
36/1	18.00	1	
54/1/5	35.00	1	
54/1/5	28.00	2	
54/1/5	27.00		
54/1/5	46.00	2	
54/1/5	14.00		
54/1/5	31.00	2	
54/1/5	11.00		
योग	285.00	11	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर से डूब प्रभावित होने से.

(3) **नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-2, धरमपुरी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. अ-82-वर्ष 2009-2010-2702.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—लालबर्रा
(ग) ग्राम—छिन्दलई, प.ह.नं. 03
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.012 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
320/2	0.567
321/2	0.445
योग . .	1.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—नेवरगांव जाम छिन्दलई लामता मार्ग के कि.मी. 12/8-10 में बैनगंगा नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण (सेतु निर्माण) उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. अ-82-वर्ष 2009-2010-2703.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—लांजी
(ग) ग्राम—टेमनी, प.ह.नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.165 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1108,1110/1	0.036
1108,1110/2	0.020
1113/3	0.040
1113/15	0.049
1132/8	0.041
1255/2क	0.041
1198/1 क	0.040
1113/2	0.109
1113/9	0.061
1113/11	0.060
1113/10	0.064
1132/3	0.052
1255/2छ	0.045
1113/1	0.041
1115/1	0.041
1115/2	0.024
1115/3	0.093
1132/9	0.020
1132/10	0.020
1132/6	0.077
1115/9	0.024
1132/7	0.041
1115/6	0.024
1256/3	0.081
1132/5	0.020
योग . .	1.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—भानेगांव टेमनी चोदाटोला पिपलगांव मार्ग के किमी. 7/4 में सोने नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण (सेतु निर्माण) उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 4198-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—इटारसी
(ग) ग्राम—मरोडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.70 एकड़/2.306 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131/1क	0.14/0.057
131/1ख	0.32/0.129
134	0.70/0.283
137/1	0.32/0.129
146	0.56/0.227
150,149	0.44/0.178
	0.04/0.016
127/1	0.15/0.061
133	0.62/0.251
140	0.74/0.299
147	0.24/0.097
11/1क	0.58/0.235
130	0.26/0.105
136	0.15/0.061
144	0.38/0.154
151	0.06/0.024

योग—कुल अर्जनीय रकबा 5.70 एकड़/2.306 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पाहनबर्री उपनहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4200-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—इटारसी
(ग) ग्राम—जमानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.51 एकड़/1.017 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/2	0.08/0.032
233/1, 233/2	0.15/0.061
217	0.22/0.089
356	0.22/0.089
224	0.10/0.041
234	0.14/0.057
294	0.76/0.308
231	0.28/0.113
241	0.45/0.182
216/3	0.11/0.045

योग—कुल अर्जनीय रकबा 2.51 एकड़/1.017 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जमानी उद्वहन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशान्त वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा
(ग) नगर/ग्राम—वर्धा, पटवारी हल्का नंबर 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.73 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
95	0.89
96	0.89
97	0.89
98	0.89
99	0.89
100	0.89
101	0.88
102	0.88
103	0.88
111	0.88
112	0.88
113	0.88
114	0.88
115	0.88
116/1	0.45
116/5	0.80
116/8	0.50
116/11	0.80
116/13	0.40
116/14	0.40
	योग : 15.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम पवैया जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि में जलाशय का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा
(ग) नगर/ग्राम—रनेह, पटवारी हल्का नंबर 48
(घ) लगभग क्षेत्रफल—37.83 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
414 में से	0.10
487 में से	0.75
493 में से	0.14
518 में से	0.21
474 में से	0.03
489 में से	0.70
517 में से	0.43
511 में से	0.40
513 में से	0.25
514 में से	0.17

(1)	(2)	(1)	(2)
516 में से	0.60	415 में से	0.30
515 में से	0.64	410/3 में से	0.23
1223 में से	0.08	1238/1 में से	0.20
497/1 में से	0.47	410/1 में से	0.75
396/1 में से	0.10	409 में से	1.05
499 में से	0.37	406 में से	0.12
510 में से	0.40	405 में से	0.32
512/5 में से	0.37	402/1 में से	0.21
500 में से	0.97	410/4 में से	0.05
509 में से	0.41	410/5 में से	0.05
508 में से	2.45	402/2 में से	0.80
507 में से	0.10	401 में से	0.35
491 में से	0.71	402/3 में से	0.09
502 में से	0.60	400/1 में से	0.10
506 में से	0.74	400/3 में से	0.80
504 में से	0.31	400/2 में से	0.41
505 में से	0.22	494 में से	0.20
492 में से	0.70	617/1 में से	0.40
410/2 में से	0.83	618 में से	0.20
490 में से	0.40	619/1 में से	0.15
501 में से	0.86	619/2 में से	0.02
498 में से	1.07	1110/3 में से	0.12
497/2 में से	0.14	619/4 में से	0.07
496/2 में से	0.23	1110/4 में से	0.06
497/3 में से	0.47	619/5 में से	0.07
488 में से	0.05	619/3 में से	0.10
486 में से	0.80	614 में से	0.10
468 में से	1.12	616 में से	0.20
495 में से	0.44	621 में से	0.57
412/2 में से	1.30	622/1 में से	0.05
485 में से	0.25	1222/5 में से	0.30
472 में से	0.62	1222/7 में से	0.82
470 में से	0.39	397 में से	0.10
471 में से	0.19	399 में से	0.35
481 में से	0.04	398/1 में से	0.07
480 में से	0.03	620/1 में से	0.24
469 में से	0.47	620/2 में से	0.14
467/2 में से	0.28	620/3 में से	0.05
467/1 में से	0.32	1110/1 में से	0.32
466 में से	0.08	1110/2 में से	0.18
464 में से	0.04	1238/2 में से	0.30
463/4 में से	0.07	1238/4 में से	0.12
412/1 में से	0.68	1238/3 में से	0.15
411 में से	1.42		
413 में से	0.54	योग :	37.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—कचौरा जलाशय मुख्य बांध डूब क्षेत्र में आने वाली अन्य संपत्ति प्रयोजन निर्माण हेतु भू-अर्जन बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वे संभाग हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—सगौनी-पटवारी हल्का नंबर 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल—91.90 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
784	0.40
785	1.40
486	0.20
799	0.05
787	0.05
800	0.26
788	0.88
1013	2.50
789	0.50
793	1.00
1005	3.18
794	0.05
797	0.10
827	0.70
824	0.01
798	0.10
808	0.46
801	0.15
805	0.10
812	0.18
816	0.20
802	0.20
806	0.17
811	0.20
822	0.50
807	0.20
829/2	0.30
809	13.00
817/1	0.60
810	0.60
814	0.45
828	1.88
815/1	1.95
815/2	1.95
815/3	1.95
817/2	0.60
818	0.32
819	0.60
820	1.20
1019	0.04
823/1	2.00
823/2	2.00
826	1.15
829/1	0.30
830	0.50
831/1	3.60
832/1	0.61
832/2	0.61
832/3	0.60
832/4	0.60
833	3.60
834	1.00
835	1.99
836	0.37
837	0.50
838	0.23
839	0.02

(1)	(2)
854	0.60
1011	1.35
1006/1	1.07
1009	1.17
1006/2	1.07
1007	0.34
1010	2.37
1012/1	1.55
1012/2	1.55
1012/3	1.55
1012/4	1.50
1012/5	0.50
1014/1	2.17
1014/2	1.58
831/2	1.79
1015	3.90
1016	1.40
1017/1	3.70
1017/2	1.20
1018/1	0.85
1018/2	1.45
1018/3	4.00
1018/4	1.45
1023/2	0.52
1024	0.45
1019	0.44
योग :	91.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम सगौनी जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि में जलाशय का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-वर्ष 2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—पटेरा

(ग) नगर/ग्राम—कुसमी-पटवारी हल्का नंबर 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल—42.30 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
30	1.40
115	0.60
116	0.34
117	3.98
455	0.12
118	2.18
119/1	0.39
119/2	0.38
124/3	2.06
126	0.17
120	3.44
127	0.50
137	1.94
152	1.32
123	0.76
145	0.22
163	0.28
170	0.07
180	0.12
182	0.11
522	0.06
523	0.42
527	0.07
128	0.21
138	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
129	0.21	168/3	0.02
285	0.03	168/4	0.02
130	0.20	172/4	0.02
297	0.10	168/5	0.04
131	0.20	172/5	0.03
139	0.23	174/2	0.25
132/1	0.82	168/6	0.04
135	0.26	172/6	0.04
144	0.44	174/1	0.25
299	0.05	270	0.32
142	0.73	459	0.11
143	0.18	168/7	0.04
526	0.24	174/3	0.25
132/2	0.83	172/7	0.04
300	0.05	169	0.21
140	0.21	171	0.16
134	0.85	298	0.05
145/2	0.60	172/3	0.02
150/1	0.46	175	0.70
150/2	0.45	465	0.22
151/1	0.73	176	0.35
151/2	0.64	177	0.15
157/1	0.09	179	0.04
158/1	0.86	184	0.42
162/1	0.04	282	0.08
164/1	0.02	181	0.29
157/2	0.09	281	0.12
158/2	0.87	283	0.11
162/2	0.03	456	0.03
164/2	0.02	458	0.05
159	0.34	464	0.14
160	0.22	457	0.07
183	0.10	463	0.08
185	0.10	466	0.08
269	0.12	467	0.01
161	0.54	529	0.89
165	0.40	570	0.65
166	0.08	531/3	0.82
178	0.06	284	0.07
167	0.05	295	0.08
168/1	0.02	533	0.56
172/1	0.02	534/1	0.27
168/2	0.02	534/2	0.27
172/2	0.02	31	0.51

(1)	(2)
32	1.20
531/1	0.80
531/2	0.82
532	0.66
योग	: 42.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम कुसमी में नई बंदी जलाशय योजना बांध, डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि में जलाशय का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—बटियागढ़

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम फतेहपुर, पटवारी हल्का नंबर 09, ग्राम देवदरा, प. ह. नं. 07.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—61.26 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
121/2	0.51
121/3	0.47
132/1	0.24
132/2	0.19
140	0.10
142	0.31
143	0.55
144	1.130
145	1.130
146	1.130
147/1	0.37
147/2	0.38
147/3	0.38
150	1.130
152	1.130
153	0.96
154	1.130
155	1.120
156	1.010
157	0.93
158/1	0.63
158/2	0.40
159/1	0.45
159/2	0.60
160/1	0.56
160/2	0.56
161/2	0.02
162	0.26
163	0.99
164	1.100
165/1	0.51
165/2	0.51
165/3	0.51
165/4	0.51
165/5	0.51
165/6	0.28
167/1	0.50
167/2	0.50
167/3	0.15
168/1	1.550
168/2	0.35
168/3	1.200
171	1.220
173/1	0.81
173/2	0.80
175/1	1.210
175/2	0.80
177	0.99

(1)	(2)
178	0.58
179/1	0.02
200/1	0.56
203/2	1.000
208	0.81
209	0.30
216	0.12
219/2	0.04
214	0.30
220	0.53
221	0.130
222	0.50
224	0.19
235	0.38
211	0.43
212	0.83
213	0.45
317	0.50
218	0.77
ग्राम देवदरा की भूमि	
27	0.67
34	0.09
37/1	0.43
37/2	0.39
38	0.86
39	0.64
40	0.04
41	0.59
43/1	0.59
132/2	0.19
45	1.210
47	0.49
48/1	0.50
48/2	0.20
49	0.77
50	0.51
51	0.49
54	0.52
55	0.58
57	0.37
58	0.02
62/1	0.64
62/2	0.65
63	0.25
64	1.150
65	0.63
67/1	0.58
67/2	0.40
70	0.67
71	0.82
72/1	0.68
72/2	0.34
73	0.54
74	0.20
75	0.33
77	0.12
80/1	0.28
80/2	0.27
81/1	0.20
81/2	0.68
81/3	0.34
83	0.12
योग :	61.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—फतेहपुर जलाशय मुख्य बांध डूब क्षेत्र में आने वाली अन्य संपत्ति प्रयोजन निर्माण हेतु भू-अर्जन बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचम नगर सर्वे संभाग हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6

के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—हटा

(ग) नगर/ग्राम—सुनेरा एवं दमोतीपुरा-पटवारी हल्का नंबर 2/1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.75 हेक्टेयर.

ग्राम सुनैरा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
42	0.60
39	0.32
50	0.64
51	0.05
55	0.13
56	0.50
58	0.76
59	0.29
योग	: 3.29

ग्राम दमोतीपुरा

204	0.45
202/1	0.13
202/2	0.06
203	0.10
194	0.36
193	0.20
205	0.16
योग	: 1.46
महायोग	: 4.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—बराना जलाशय योजना के प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—बटियागढ़

(ग) नगर/ग्राम—कनोराकला पटवारी हल्का नंबर 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल—97.34 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
27	0.48
33	1.00
33/2	2.00
33/3	2.00
33/4	1.63
33/5	1.60
33/6	1.60
33/7	0.80
33/8	1.20
33/9	1.60
33/10	1.50
33/11	0.15
33/14	0.65
35	4.49
36	0.63
38	0.41
39	3.75
43	2.36
41	2.21
45	2.46
47	0.70
54/1	2.00
54/2	2.00
54/3	2.00
54/4	2.00
54/5	2.00
54/6	1.84
94	0.10

(1)	(2)
100/2	1.50
101	2.00
114	1.27
116	0.10
120	2.12
127	5.04
129	2.59
131	2.00
134	13.25
136	1.20
213	3.06
119	5.35
123	2.10
128	5.22
133/1	1.06
133/2	1.05
139	0.15
181	1.51
211	0.18
216/1	0.25
216/4	0.43
216/5	0.05
216/24	0.18
221/2	0.52
योग :	97.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम कनौरा जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल में आने वाली भूमि में जलाशय का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. ए. खंडेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-09-10(भू. अ. अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—बरगी प. ह. नं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.89 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
603	0.08
609/1	0.14
621/1	1.57
622/1	1.10
योग :	2.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-09-10-(भू. अ. अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर

(ग) ग्राम—सालीबाड़ा प. ह. नं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.31 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.71
5	0.08
6	0.12
7/1	0.40
योग :	1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10-(भू. अ. अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—खम्हरिया प. ह. नं. 39
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.67 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
77	0.06
145/1	0.55
145/2	0.35
140	0.19
141	0.03
163	0.05
164	0.07
165/1	0.17
166	0.01
167	0.36
168	0.15
169	0.14
172/1	0.03
186	0.05
योग :	5.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-09-10-(भू. अ. अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—खिरहनी प. ह. नं. 37
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.34 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
281	0.21
282	0.13
योग :	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-09-10-(भू. अ. अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—गजना प. ह. नं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.67 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
143	0.21
144	0.15
145	0.25
169	0.06
170	0.30
180	0.42
185	0.36
186	0.35
188	0.07
189	0.41
योग :	2.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-09-10-(भू. अ. अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—बरगी प. ह. नं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.11 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
164	0.13
163	0.33
157	0.08
156	0.07
154	0.25
153	0.12
152	0.13
योग :	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-09-10-(भू. अ. अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—थाना प. ह. नं. 42
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.16 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
261	0.40
262	0.04
265/2	0.02
266	0.33
268/4	0.03
268/3	0.04
268/2	0.04
268/1	0.05
271	0.06
274/3	0.05
272/1	0.10
योग :	1.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-09-10-(भू. अ. अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—सुकरी प. ह. नं. 42
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.17 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
460	0.19
459	0.04
458	0.22
457	0.31
456	0.16
454	0.06
446	0.05
444	0.11
435	0.02
433	0.01
योग :	1.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2010

प्र. क्र. -अ-82-2007-2008-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) नगर/ग्राम—कडैया शाह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.801 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
426/1/2	2.500
426/1/3/5/2	0.263
426/1/3/4	0.530
426/1/1	2.023
424/1	1.619
421/2ख/7	1.214
421/2ख/5	0.200
421/2ख/6	0.060
421/2ख/8	1.012
421/2ख/9	0.809
421/2ख/10	1.000
421/2ख/3	0.700
421/2ख/1	1.214
421/2ख/2	1.214
421/2क/3	2.000
421/2क/6	2.000
418/1/3	1.214
418/1/1ख/4	1.214
426/1/3क	0.512
418/4	0.890
418/1क/2/4	0.609
418/1/1क/2/5	0.405
418/1/1क/2/6	0.580

(1)	(2)
418/1/2	0.664
421/3ख	0.105
479/417	0.250
	योग : 24.801

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय राजस्व बैरसिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. 149-प्र. क्र. 19-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—एकलरा बुजुर्ग
(घ) क्षेत्रफल—8.089 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3	0.530
45/1	0.038
29/1	0.031
29/3	0.024
29/2	0.336
56	0.312
28	0.224
27	0.482
26/2	0.040
30/1	0.321
30/3	0.106
30/4	0.200
30/2	0.073
34/3	0.123
34/4	0.168
34/1	0.149
34/2	0.048
36/1/1	0.101
35/1	0.030
36/1/3	0.123
152	0.600
153	0.053
154	0.050
155	0.060
157	0.038
144	0.247
35/2/3	0.092
145/3	0.076
142/3	0.082
143/1	0.247
141	0.125
140/1	0.106
171/2	0.355
234	0.106
233	0.327
225/1	0.228
219	0.152
220/1/2	0.105
220/3	0.098
220/4	0.268
208/7	0.028
208/9	0.028
208/4	0.028
208/2	0.114
208/1/2	0.114
220/5	0.019
220/1/1	0.104
208/10	0.028
207/8	0.068
207/9	0.240
156	0.038
158	0.067
139	0.086
172/1/1/3	0.007

(1)	(2)
172/1/2	0.058
159/1	0.079
159/2	0.039
159/3	0.039
159/4	0.031
	योग : 8.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धमरपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 119-प्र. क्र. 20-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—लुन्हेरा खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—3.908 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
9	0.200
2/1/2	0.200
2/1/1	0.010
2/2	0.130
4	0.080
3	0.250
79/1	0.270
79/2	0.135
85/1	0.060
82	0.075
85/2/2	0.108
80/4	0.150
81	0.100
53	0.200
52/1	0.120
52/3	0.330
52/2	0.120
52/4	0.190
51/1	0.060
51/2	0.175
47, 48/2	0.320
164/50	0.330
57/2	0.070
49	0.225
	योग : 3.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धमरपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 125-प्र. क्र. 22-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—झाकरूड
(घ) क्षेत्रफल—10.057 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
34/1	0.170
34/2	0.080

(1)	(2)
32/1	0.100
32/2	0.100
409/2	0.072
32/3	0.100
409/4	0.060
31/2	0.187
31/1/1ख	0.080
31/1/1क	0.030
31/1/1च	0.050
31/1/1ड	0.050
31/1/1ग	0.035
31/1/2	0.050
30	0.300
40/1	0.032
40/3	0.080
40/4	0.100
40/2	0.225
45	0.026
46	0.256
258	0.060
50/2	0.005
131	0.230
132	0.036
91/2	0.020
130	0.205
113	0.077
114	0.205
115/2	0.005
116/1	0.050
116/2	0.230
116/3	0.0300
61, 62	0.243
60/1	0.170
60/2	0.120
53/1	0.030
209/1	0.245
207	0.122
208	0.190
221/1	0.308
224	0.220
231	0.072
229	0.230
230	0.008
228	0.020
244	0.030
245	0.205
246	0.040
248	0.052
247	0.220
241/3	0.193
297/3	0.202
298, 299/1	0.100
298, 299/2	0.120
411	0.262
409/1	0.150
410	0.035
385/1	0.170
384	0.250
391	0.122
394	0.213
259	0.323
269/2	0.220
270/1	0.467
211/1	0.200
211/2	0.080
211/5	0.180
211/4	0.210
217	0.419
292	0.010
योग :	10.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धमरपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 137-प्र. क्र. 23-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की

उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—बिखरौन
(घ) क्षेत्रफल—9.025 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
531	0.160
533	0.280
532	0.320
534	0.160
535	0.160
515/3	0.020
513	0.020
514/1	0.024
514/2	0.060
515/1, 504/1/2	0.240
515/2	0.240
504/1/1	0.480
504/1/1/2	0.090
504/1/1/4	0.160
164	0.154
166	0.168
165/2	0.080
169/2	0.240
169/1	0.480
159/1	0.100
168	0.204
167/2	0.060
167/1	0.060
160/1	0.080
160/2	0.080
160/3	0.080
159/2	0.160
155/1	0.240
157/1	0.360
80	0.395
81/1/2	0.240
56/1	0.160
57	0.243
51/1	0.120
51/2/1	0.200
51/2	0.160
51/3	0.060
52	0.145
41/2	0.300
50/1/1	0.400
36/2	0.008
37/2	0.008
38	0.064
56/2	0.065
47/1	0.180
47/2	0.180
47/3	0.200
39	0.008
46	0.301
44	0.192
42	0.256
50/2	0.020
41/1/1	0.160
योग :	9.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धमरपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 131-प्र.क्र. 25-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—सरफराबाद
(घ) क्षेत्रफल —9.200 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98/1	0.150
98/2	0.300
97	0.330
96/1/1	0.200
96/1/2	0.080
144/1	0.030
94	0.070
96/2, 96/3	0.280
92	0.250
152/1	0.050
153/1	0.160
153/2	0.220
154	0.450
156/1	0.560
165/1	0.060
156/2	0.270
165/3	0.060
158	0.330
163/1/2, 163/1/1	0.050
163/1/3, 163/1/1/2/1	
163/1/2/2	
163/2/1	0.340
156/3/1	0.060
156/3/2	0.080
156/3/3	0.100
170/1ख	0.330
169/1	0.200
169/3ख	0.170
170/1क	0.030
171/2	0.270
174/2	0.150
174/3	0.650
180/3	0.140
180/2/1	0.030
180/2/2	0.040
180/1	0.080
178, 173	0.220
177	0.150
110	0.060
111	0.400
109/1	0.040
108/2, 108/3	0.060
108/5	0.080
109/2	0.030
108/1, 108/4	0.180
107, 137/1/3	0.180
107, 137/1/2	0.310
137/2	0.190
140/1क/1/1	0.050
140/1ख/1/2	0.160
140/1/1क	0.060
140/1/2ख	0.200
140/2	0.240
204/5क	0.020
योग . .	9.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 203-प्र.क्र. 27-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—निमरानी
(घ) क्षेत्रफल —11.205 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/1, 7/2	0.030
6/2	0.240
11	0.050
12/1	0.200
12/2	0.050
24, 25	0.080
26	0.090
27	0.300
37/2	0.130

(1)	(2)
37/1/1/1	0.110
37/1/2/1	0.090
39/1	0.060
37/1/3/1	0.130
61/1, 71	0.320
72	0.170
74	0.100
60	0.120
56	0.170
55	0.110
69	0.130
77	0.110
81/2/2	0.240
81/3	0.090
81/2/1	0.150
81/1	0.260
313/107	0.050
82	0.100
107	0.070
109	0.200
160	0.060
157/1	0.300
157/2	0.210
156	0.100
155	0.250
153/1/1	0.300
153/1/2	0.080
152	0.350
139	0.200
193/2	0.250
193/3	0.230
140	0.200
212/1	0.250
212/2	0.150
212/3/1	0.150
212/3/2	0.150
195/2	0.020
195/1	0.020
196	0.170
301/1	0.030
303/4	0.060
23/2/1	0.050
22	0.150
23/1/1	0.150
193/1	0.300
192/2	0.150
192/1/1	0.200
192/1/2	0.200
191	0.250
190/1, 190/2	0.350
21/1/2	0.070
194/1	0.200
301/2	0.200
303/3	0.100
303/7	0.040
302	0.200
303/1	0.060
303/5	0.060
303/2	0.160
303/6	0.035
303/8, 304	0.030
306/1	0.250
306/2	0.080
308/1	0.050
308/2	0.050
310/3	0.160
310/5	0.180
योग . .	11.205

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.— औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 185-प्र.क्र. 28-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—सुन्द्रेल
(घ) क्षेत्रफल —17.825 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
806/60/2	0.050
63	0.080

(1)	(2)
61/1, 61/2	0.100
744/1	0.060
744/2	0.060
744/3	0.060
59/1, 59/2, 59/3	0.225
64/1/3	0.100
67	0.070
68/2/1	0.215
66/2	0.300
75	0.270
76	0.220
256, 257, 258, 259	0.475
261/2	0.120
262	0.215
266/1	0.115
266/2	0.100
269/1	0.325
528/1	0.350
527/1/808	0.080
527/1, 527/3	0.260
808/527/3	
582	0.100
584	0.230
585	0.250
589/6	0.150
589/5	0.080
589/1	0.080
589/3	0.040
589/4	0.020
587/2, 588/2	0.100
590/2	0.155
590/3/1	0.175
590/3/2	0.150
573	0.120
721/2	0.150
672/3	0.230
601/4	0.550
599/2	0.065
600/1	0.050
599/1	0.120
600/2	0.100
626	0.090
627	0.280
628	0.185
633	0.310
634/1	0.060
634/2	0.300
593/1ग	0.230
620/1	0.340
667, 668	0.200
666, 669	0.145
691	0.100
692	0.210
690/2	0.300
688	0.200
689/1	0.145
743	0.010
745	0.500
746	0.170
788/1	0.110
788/2	0.270
788/3	0.180
652	0.800
786, 787	0.180
785	0.200
784	0.080
783	0.050
782/1, 782/2/2,	0.350
782/2/1, 781	0.180
778/1, 778/2	0.220
779/1	0.200
791	0.460
603	0.480
604	0.250
620/3ख, 621/2	0.150
620/3ग, 621/3	0.150
620/3क, 621/1	0.150
637/2	0.250
637/1	0.300
659/2/2	0.170
643/3	0.320
722/1	0.180
722/2	0.100
728	0.650
802/730	0.300
721/3	0.010
721/1	0.020
794/1	0.120
794/3/1क, 794/3/3	0.160
794/3/1ख	0.225
742/1	0.020
योग . .	17.825

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.— औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 197-प्र.क्र. 30-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—बगडीपुरा
(घ) क्षेत्रफल —5.581 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.150
4/2	0.230
5	0.260
7	0.212
54	0.273
50/1	0.234
50/2	0.270
56/1	0.225
56/2	0.120
58	0.105
16/2	0.089
21/3	0.110
21/2	0.035
21/4	0.035
21/1/2	0.020
21/1/1	0.070
22/1	0.103
22/2	0.010
20/1/1	0.020
166	0.440
169/1/1	0.240
183	0.190
184	0.005
185	0.032
195	0.270
194/1	0.032
198	0.520
201/1	0.152
216/197/1	0.200
180/1/4	0.010
178	0.026
59	0.010
56/3	0.065
57/1/2	0.070
57/1/3	0.200
57/2	0.170
57/1/4	0.100
57/1/5	0.170
20/1/2	0.010
169/2	0.100
योग . .	5.581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.— ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 179-प्र.क्र. 31-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—रामपुरा
(घ) क्षेत्रफल —4.781 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9	0.112
11	0.100
12	0.240

(1)	(2)
17	0.200
4	0.050
18/14	0.148
18/15	0.074
18/16	0.074
18/17	0.074
18/18	0.074
153/2	0.170
138/2	0.030
137/2	0.020
135	0.120
134	0.080
148/2	0.030
149	0.120
160/1	0.010
160/2	0.080
172/3	0.120
170/1/5	0.080
169/1	0.130
169/2	0.130
181/1	0.350
181/2	0.140
181/3/1	0.200
181/3/2	0.200
180	0.005
28/2	0.110
29/2	0.280
89	0.050
118/1	0.040
138/3	0.090
172/1	0.090
172/2	0.110
162	0.050
184/1	0.050
137/1/1	0.020
137/1/2	0.030
170/1/3	0.050
170/1/4	0.130
145	0.120
90/1	0.050
90/2	0.180
101/2	0.040
101/1	0.035
97/2	0.005
100	0.065
102/2/2	0.025
योग . .	4.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 161-प्र.क्र. 32-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—बगडी (सगडीपुरा)
(घ) क्षेत्रफल —2.785 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.100
6	0.080
11	0.055
5	0.200
2/2	0.300
81/1	0.350
81/2	0.250
81/3	0.150
114/2	0.050
114/3	0.050
115/1	0.100
116/2/2	0.020
28/1	0.130

(1)	(2)
29	0.050
33/1	0.050
33/2	0.300
75/1	0.140
70/1/1ख	0.070
70/1/1क	0.030
71/1/2ग	0.040
69/1/3	0.170
69/1/6	0.030
69/2	0.050
72/1/2	0.020
योग . .	2.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 155-प्र.क्र. 33-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—पटलावद
(घ) क्षेत्रफल —11.410 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
76/1	0.325
78/2/1	0.022
76/2क	0.135
76/2ख	0.125
77	0.255
78/2/2	0.125
79/2	0.075
79/1/1	0.110
79/1/2	0.120
68/2/3	0.200
72	0.170
73	0.130
71	0.130
70/1	0.255
70/2	0.060
69/1	0.045
69/3	0.170
68/2/1	0.030
69/5	0.075
68/1	0.450
68/2/2	0.130
68/2/4	0.180
68/3	0.010
68/4	0.010
54/1क	0.200
54/1ख	0.085
54/2	0.135
52/3	0.110
53	0.120
173/3	0.040
173/4	0.080
172	0.075
171	0.045
152/1	0.075
152/2	0.060
151	0.080
154/1	0.060
154/2	0.060
155	0.060
156/1	0.055
156/2	0.055
156/3	0.055
156/4	0.055
157/1	0.105
157/2	0.115
158/1/1	0.080
158/1/2	0.050
158/3	0.163
158/4	0.150

(1)	(2)
159/3	0.060
159/4	0.260
159/5	0.210
159/6	0.075
160/3	0.240
36	0.230
187/3	0.270
201/5	0.250
205	0.340
204	0.240
47/1	0.245
46	0.235
43	0.370
42	0.100
35/2	0.035
34/2	0.030
35/1	0.370
34/1	0.030
37/1, 38/1	0.260
179/1/1	0.090
179/1/2	0.050
179/3	0.065
179/4	0.070
180/1	0.055
180/2	0.055
195/1/1	0.045
195/1/3	0.050
195/1/4	0.070
195/2	0.160
195/3	0.125
196/1	0.215
196/2	0.070
197	0.270
84/3	0.090
90/3/1क	0.150
90/3/1ख	0.280
90/3/2	0.030
89/1	0.080
योग . .	11.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 227-प्र.क्र. 34-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—पेडवी

(घ) क्षेत्रफल —9.547 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2/1, 268/1	0.015
269/1	0.140
1/2/2	0.010
51/3	0.040
266/1	0.290
1/3/1	0.011
44/1	0.020
44/2	0.023
44/3	0.030
3/4	0.030
12	0.480
13/1	0.215
13/2	0.190
10	0.015
35/1	0.255
35/2	0.140
(16 34)	0.135
46/3	0.258
51/1, 51/4	0.050
51/2	0.040
50	0.120
70/1	0.160
70/2	0.180
65	0.020
73/1	0.250
75	0.310

(1)	(2)
74/3	0.035
74/4	0.035
71/1	0.025
89/1, 90	0.160
88/3, 88/4	0.400
88/5, 89/2	0.160
109/2	0.150
108	0.220
102	0.270
101	0.270
100	0.280
99/1	0.070
99/2	0.010
99/5	0.010
229/230/1, 229/1	0.350
232	0.305
242	0.130
244/1	0.100
244/2	0.150
244/3	0.110
319/250/1	0.160
240/1	0.100
251/1/1	0.100
251/1/3	0.010
251/1/2	0.110
271/1	0.030
271/2	0.260
269/2	0.200
268/2	0.060
321/264	0.100
276/1	0.070
282	0.100
284/285/1	0.060
284/285/1/2	0.100
285/6, 285/2/1	0.090
285/2/2, 285/5	0.140
285/4, 285/7, 285/8	0.125
314/1	0.110
312/1	0.020
310/2	0.015
310/3	0.120
310/4	0.130
311/1	0.080
311/2	0.080
311/3/1	0.080
311/3/2	0.200
316	0.100
14	0.130
योग . .	9.547.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 143-प्र.क्र. 35-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—सादिकपुर
(घ) क्षेत्रफल —7.810 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/2	0.050
5/1/1/1	0.030
5/1/1/3/1ख	0.040
5/1/1/2	0.050
15/2क	0.150
5/1/1/3/1क	0.050
5/1/1/3/2	0.250
6/2/2	0.010
6/2/1	0.100
6/1	0.130
4/2/3	0.155

(1)	(2)
4/2/1	0.155
4/1/1ख	0.145
4/1/2	0.150
4/3	0.110
3/6	0.090
1	0.170
3/1	–
3/2	–
3/3	0.120
3/5/2	0.090
3/4/8	0.370
3/5/1	0.090
22/2	0.160
25/1	–
22/2	0.100
25/1/1	–
25/3	0.110
26/1	0.250
29/2/30/1ख	0.110
31/1/2	0.270
54/1	0.025
55	0.255
56	–
61/2/2	0.270
61/1/1	0.360
8, 9, 10, 11/1	0.330
16/1/4	0.120
16/1/3	0.180
16/1/2	0.015
16/2/1	0.015
16/2/2	0.300
14/2	0.080
15/1	–
44/1क	0.020
44/1/2/2घ	0.020
44/3	0.130
44/1/1ख	0.455
49/2	0.220
48	0.180
73	0.030
71, 72/1क	0.010
74/1/1	0.200
80/72	–
71	0.180
72/1ख	–
71, 72/1ग	0.005
71, 72/2ख	0.030
71, 72/2ग	0.080
70/2	0.520
69/1	0.195
69/2	0.080
योग . .	7.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 221-प्र.क्र. 36-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—नागझीरी
(घ) क्षेत्रफल —3.595 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.040
4/2/1	0.160
4/1/2	0.450
19/1/1, 19/1/2	0.035
19/2	0.405
20, 21	0.140
22	0.310
30	0.246
29	0.114

(1)	(2)
33/1/1	0.270
33/2/1	0.125
33/2/2/1	0.070
33/2/2/2क	0.035
33/2/2/2ख	0.035
28	0.040
17/1, 17/2/1	0.225
18/1/1	0.080
8/2	0.170
34/2	0.260
34/1	0.185
35	0.200
योग . .	3.595

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 215-प्र.क्र. 37-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—पगारा
(घ) क्षेत्रफल —4.522 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/4/1	0.110
11/2	0.118
92	0.661
24/2/89/1/3	0.184
24/2/89/1/2	0.272
24/2/89/1/1	0.176
23/3/1/3	0.202
23/2/2/2	0.218
23/1ख	0.218
26/1/1ख	0.232
47/3	0.112
47/2	0.218
29, 34/4	0.207
27/2	0.010
30/1	0.140
31/2ख	0.145
31/2क	0.160
31/1/6	0.111
31/1/5	0.138
32/3, 32/4	0.034
32/5	0.030
32/2	0.044
32/1	0.291
31/1/4	0.015
62/3	0.038
62/2	0.107
63/1	0.038
63/2	0.042
63/3	0.042
64, 66/2	0.171
66/6	0.038
योग . .	4.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 191-प्र.क्र. 41-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—गुलझरी

(घ) क्षेत्रफल —5.432 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18/1/1	0.500
39	0.920
38/2	0.110
40/3	0.215
42/1, 42/2	0.150
43/1	0.200
44/1	0.015
43/2	0.100
44/2	0.380
70/1	0.437
73/1	0.045
82	0.450
83/1	0.100
110/1	0.140
98/1	0.160
101	0.275
102/1	0.075
102/2	0.570
103/1/2	0.040
99	0.160
98/2	0.210
98/3	0.180
योग . .	5.432

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 167-प्र.क्र. 42-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—खलबुजुर्ग

(घ) क्षेत्रफल —12.152 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	0.660
11/1/1	0.270
17/1	0.330
39/1	0.320
17/2	0.225
38/1	0.140
17/3	0.310
30	0.550
36/1/1	0.090
35/1/4	0.340
35/2/1	0.570
35/1/1	0.135
40/1	0.360
46/2	0.330
48/1	0.230
47	0.130
50/1/1	0.055
50/2/1	0.070
50/1/3	0.130
51	0.100
52	0.150
53/1	0.150
53/2	0.190
54/1	0.780
95	0.070

(1)	(2)
94/5	0.100
94/6	0.090
94/4	0.190
102/2	0.270
128	0.525
129	0.120
142/2/2 | 142/3	0.050
130	0.120
159	0.252
158/1/3ख	0.220
131	0.040
77	0.105
158/1/1/4	0.040
158/1/2ख	0.130
160/2	0.170
79/2 | 80/1/3	0.130
80/2	0.130
80/3, 81/1, 81/2/1	0.170
142/2/1	0.145
144/2/1	0.105
76/1, 76/2	0.190
144/2/2	0.230
144/3	0.090
145, 146	0.170
160/1	0.620
162	0.220
161	0.260
123/2	0.125
123/1	0.070
123/3	0.160
82/2	0.230
योग . .	12.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 209-प्र.क्र. 43-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—दसोडा

(घ) क्षेत्रफल —12.826 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
178/1	0.050
183/1, 2	0.045
183/2/1क	0.120
3/11	0.090
192/3	0.110
192/1	0.070
192/2	0.210
191	0.090
190	0.320
195	0.110
194/1	0.130
194/2	0.110
194/3	0.060
194/4	0.030
201/6, 219/4	0.100
202/1	0.010
202/2	0.135
235	0.085
234/1	0.125
234/2	0.135
245/3	0.100
246	0.085
244	0.210
265/1	0.310
265/2	0.025
267	0.025
270	0.160
268	0.380
283/1	0.080
283/2	0.090

(1)	(2)
284	0.160
285	0.530
281	0.130
278/2	0.130
276/2	0.040
277	0.120
275	0.050
278/1	0.030
286	0.190
288	0.290
289/1अ	0.080
289/1स	0.120
296/1/1, 289/2/3	0.130
296/1/2	0.110
211/1	0.280
214/1	0.130
212/1	0.180
212/2	0.160
214/2	0.110
219/1	0.110
219/2	0.080
219/3	0.055
219/5	0.050
223/1	0.285
225/3/1	0.100
225/3/3	0.100
225/3/2	0.100
3/2	0.010
3/3	0.070
3/15	0.180
33/4	0.180
34/4	0.170
34/2	0.230
35/5, 35/6	0.065
3/4	0.060
36/1	0.280
36/2	0.240
42/1	0.250
42/2	0.130
42/3/1	0.025
60	0.045
58	0.010
4/1	0.070
4/2	0.050
6/3	0.130
6/2	0.100
7	0.130
9/1	0.110
9/2	0.870
18/2	0.090
128/1	0.170
128/2	0.060
16/3	0.230
18/3, 18/2	0.255
11/1क	0.160
11/1ख	0.180
11/1ग	0.170
18/1	0.050
13/1	0.198
13/2	0.198
14/2/21	0.060
3/12	0.090
3/13	0.060
योग . .	12.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 113-प्र.क्र. 44-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—पिपल्या खुट

(घ) क्षेत्रफल —15.137 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
234/2	0.412
235/1	0.116
234/1/2	0.112

(1)	(2)
234/3/1	0.198
223/3/1	0.010
234/3/2	0.012
235/2	0.384
244/4	0.028
229/2	0.466
257/1	0.576
225/4	0.341
223/2	0.384
255	0.591
249/4/1	0.197
187/2/1	0.030
249/4/2	0.112
187/2/2	0.048
230/3	0.080
230/2	0.202
250/2/2	0.275
250/4	0.156
250/5	0.058
250/6	0.060
250/10	0.029
187/5	0.022
256/11	0.497
244/5	0.030
256/10/1	0.009
256/10/2	0.013
244/7	0.024
179/1	0.250
177	0.163
176/7	0.080
244/1	0.152
244/3	0.146
244/6	0.026
245/1	0.050
245/2	0.062
188/2	0.067
187/4	0.074
186/3/1	0.022
186/3/2	0.025
186/3/3	0.178
186/2	0.160
186/1	0.162
187/1/1	0.058
187/2/1	0.030
187/2/2	0.048
187/6	0.020
250/7	0.006
187/3	0.085
194/1ग	0.086
194/1ख	0.086
197/2	0.109
197/3	0.232
197/4	0.072
175/1/9क	0.010
175/1/10क	0.018
175/1/11क	0.028
175/1/12क	0.050
175/1/13क	0.088
175/1/1ख ग	0.200
175/1/1ख घ	0.010
28/1	0.154
28/2	0.745
15/1	0.325
25/1	0.032
25/2	0.136
37/4	0.358
39/1	0.196
16/1	0.103
16/4	0.336
16/5	0.037
88/2	0.190
15/2/2	0.224
15/2/1	0.213
14/1	0.370
3/1	0.202
13/1	0.174
12/1/1	0.806
12/1/2	0.179
12/2/1	0.020
8/1	0.084
8/8	0.176
11/3	0.201
8/4	0.095
11/2	0.060
8/2	0.232
8/3	0.084
8/5	0.095
3/2	0.173
246/1	0.112
246/2/1, 248/1/2	0.088
248/1/1	0.168
248/2, 249/1	0.172
249/3/1	0.120
249/2/2	0.062
249/3/3	0.090
योग . .	15.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 173-प्र.क्र. -अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—धामनोद

(घ) क्षेत्रफल —4.903 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
651/531/1	0.135
536/1	0.155
536/2	0.080
649/2	0.220
535/1/2	0.030
534/1	0.170
534/2	0.180
650/6	0.015
447/1	0.200
463/1	0.010
464	0.280
554	0.360
555	0.200
552	0.030
553	0.140
482	0.280
232/1	0.180
192	0.007
193/1	0.004
483/1	0.100
486/1	0.047
486/2	0.047
486/3	0.047
486/4	0.047
487/1	0.150
488	0.160
489	0.190
547	0.040
492	0.160
497/3	0.100
497/2	0.335
498/1/1	0.300
599/1/1/1	0.010
356/2	0.170
354, 355	0.324
योग . .	4.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 6 अप्रैल 2010

क्र. 782-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर

(ख) तहसील—(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर

(ग) ग्राम—बशीपीपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.631 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
134/2/1 पार्ट	0.496
134/3	2.023
138/1/1	0.818
138/1/2	0.699
138/1/3	0.819
138/1/4	0.632
138/1/5	0.342
138/2/1	0.811
138/2/2	0.179
138/2/3	0.179
138/2/4	0.250
138/2/5	0.341
138/3/1	0.500
138/3/2	0.500
141/1/1 पार्ट	0.400
141/2 पार्ट	0.400
230/2/3	0.091
230/3 पार्ट	0.250
230/10	0.700
230/12	1.300
230/5/1/1	0.331
230/5/1/2	0.331
241/4 पार्ट	0.126
241/5 पार्ट	0.100
241/6	0.211
242 पार्ट	0.150
245/1/2 पार्ट	0.300
245/3 पार्ट	0.200
245/4 पार्ट	0.202
245/5 पार्ट	1.400
245/6 पार्ट	0.300
245/2	0.250
योग . .	15.631

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—लालगढ़ तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील (महू) डॉ. अम्बेडकर नगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. 10-अ-82-2009-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम/नगर—महलगांव

(घ) क्षेत्रफल—0.460 हेक्टेयर यानी 2 बीघा 4 बिस्वा

सर्वे नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
456	0.460
कुल योग . .	0.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अनु. जाति/जनजाति कन्याओं को शिक्षा एवं निवास की सहायता उपलब्ध कराये जाना हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.